सं0सं0–7/बजट–46–58/2025–26 – 123 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 20/03/2026

विषय:– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रू0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राशि रू0 70,00,00,000/–(रुपये सत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाऍ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 515,00,00,000/–(रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या 311(1), दिनाक–07.03.2019 द्वारा दी गयी। इस केंन्द्र प्रायोजित योजनातर्गत केन्द्रांश मद आवंटित कुल राशि रू० 150.00 करोड एव समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 100.00 करोड अर्थात् कुल राशि रू० 250.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चूकी है। शेष प्राक्कलित राशि के व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

2– भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक केन्दाश एव राज्यांश मद मे प्राप्त आवटनादेश एवं अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवटित राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश स०	केन्द्राश	राज्याश
1	स०–1049(1), दिनाक–09 12 2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	स०–56(7), दिनाक–03 08 2021	10,00,00,000	6,66,66,600
3	स०–334(7), दिनाक–28 11 2023	89,75,00,000	25,00,00,000
4	स०–457(7), दिनाक–30 01 2024		35,20,00,000
5	स०–223(7), दिनाक–18 10 2024		26,20,00,000
कुल आवटित राशि		**1,50,00,00,000**	**99,99,91,100**
कुल राशि (केन्द्रांश + राज्याश)		**2,49,99,91,100**	

3– इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रू0 मे)	व्ययादेश स0 एव दिनांक
1	2024–25	45,00,00,000	स0– 589(7), दिनांक–28 03.2025
2	2025–26	6,00,00,000	स0– 279(7), दिनाक–02 09 2025
3	2025–26	10,00,00,000	सं0– 382(7), दिनाक–31 10 2025
4	2025–26	69,00,00,000	स0– 31(7A), दिनांक–28 01.2025
	कुल–	**1,30,00,00,000**	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राशि रू0 70,00,00,000/–(रुपये सत्तर करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या 311(1), दिनांक–07.03.2019 में निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

6– राज्य योजना मद से इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/**तृतीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24.03 2017 एव 12888/वि0, दिनाक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11– राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2779/वि0 दिनांक–19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम मे सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस संदर्भ में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–स०स०–7/बजट–46–58/2025–26 के पृष्ठ 78/टि0 में प्राप्त है।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शिरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—7/बजट—46—58/2025—26—123 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक—20/03/ 2026

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिलाधिकारी, बक्सर/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाऍ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/26

सरकार के अपर सचिव।

पत्र सं०-एम-4-10/2026..2779../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19-03-26

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधेज शिथिलीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जाता है।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के विपत्र कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

19/3/2026

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांकः-एम-4-10/2026 2779/वि०, पटना-15, दिनांक..19-03-26

प्रतिलिपिः-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/2025-26/25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2026

संयुक्त आयुक्त